भारत गणराज्य सरकार
और
फ्रांस गणराज्य सरकार
के बीच
शैक्षणिक अर्हताओं की परस्पर स्वीकृति के सरलीकरण हेतु
करार

भारत गणराज्य सरकार,

और फ्रांस गणराज्य सरकार,

जिन्हें इसके पश्चात 'पक्षकार' कहा गया है,

भारत गणराज्य और फ्रांस गणराज्य सरकार के मध्य 7 जून 1966 को हुए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से संबंधित समझौते का स्मरण करते हुए;

पक्षकारों के बीच शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में संबंध विकसित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए;

विभिन्न समझौतों के माध्यम से दोनों देशों की उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मध्य सहयोग और आदान-प्रदान की परंपरा में विश्वास जताते हुए;

दोनों देशों के विद्यार्थियों को एक-दूसरे देश में अपना अध्ययन जारी रखने की संभावनाएं उपलब्ध करवाते हुए उनकी गतिशीलता को प्रोत्साहन देने की भावना में विश्वास रखते हुए;

दृढ़ विश्वास रखते हुए कि साझेदार देश में अध्ययन जारी रखने को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के मध्य अर्हताओं और अध्ययन अवधि की पारस्परिक मान्यता से विद्यार्थी गतिशीलता को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सहयोग, विश्वविद्यालय और अनुसंधान आदान-प्रदान के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।

निम्नानुसार परस्पर सहमति अभिव्यक्त करते हैं:

अनुच्छेद 1

करार का उद्देश्य

इस करार के साथ दोनों पक्ष सहभागी देश में अपने अध्ययन जारी रखने की दृष्टि से दोनों देशों में विधिवत रूप से अनुमोदित, मान्यता-प्राप्त और अथवा प्रत्यायित शैक्षिक संस्थाओं के भीतर छात्रों द्वारा किए जाने वाले अध्ययन की अवधि और शैक्षिक अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता को सुकर बनाने और उस दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

अनुच्छेद 2

कार्यक्षेत्र और कार्यान्वयन

(1) यह करार निम्नानुसार लागू होगाः

- भारत में, वे सभी संस्थाएं जोकि भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) की सदस्य हैं और डिग्री प्रदान करने के लिए भारतीय गणराज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, मान्यता-प्राप्त या प्रत्यायित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

- फ्रांस में, कॉन्फरेंस दे प्रजिडेन्ट्स द युनिवर्सिते (सीपीयू) तथा कॉन्फरेंस दे डायरेक्टर्स दे एकोल फ्रांसेज़ द इंजीनियर (सीडीईएफआई) के तहत सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और उच्चतर शिक्षा के प्रभारी फ्रांस मंत्रालय द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त डिग्रियों पर लागू होगा।

(2) दोनों पक्षकार इस करार के कार्यान्यवन के लिए उपर्युक्त भारतीय और फ्रेंच निकाय (एआईयू और सीपीयू/सीडीईएफआई) के बीच नियमित आदान-प्रदान को सुकर बनाएंगे।

(3) यह करार ऐसे विषयों और अर्हताओं पर लागू नहीं होगा जोकि उनके धारकों को संबंधित देशों में व्यवसाय करने के अधिकार के लिए भी पात्र बनाते हों।

(4) यह करार संस्थागत स्वायत्ता के सिद्धांत के प्रति सम्मान पर आधारित है जोकि भारत और फ्रेंच उच्चतर शिक्षा प्रणाली दोनों पर लागू होता है।

ऐसे कार्यक्रम जिनमें छात्र नामांकन कर सकते हैं को प्रत्येक पक्षकार के सक्षम उच्चतर शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(5) संगठन और दोनों देशों की उच्चतर शिक्षा प्रणालियों की संरचना संबंधी सूचना का नियमित आधार पर आदान-प्रदान किया जाएगा।

(6) दोनों पक्षकार भारत गणराज्य की माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद (की) और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की अर्हताओं और फ्रांस गणराज्य की उच्चतर शिक्षा

संस्थाओं की अर्हताओं को पारस्परिक मान्यता देने के लिए सहमति अभिव्यक्त करते हैं जोकि समअनुरूप अर्हताओं की तुलना में इस करार के क्षेत्र में आती हैं बशर्ते कि ये अर्हताएं दोनों देशों के कानून और विनियमों के अनुसार प्रदान की गई हों।

(7) भारतीय पक्षकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा जारी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या भारत गणराज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य माध्यमिक, इंटरमिडिएट या प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के साथ तुलनीय फ्रांस राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा माध्यमिक स्कूल शिक्षा की समाप्ति पर प्रदान किये जाने वाले बक्कालॉरेत नामक प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करेगा।

(8) फ्रांस पक्षकार फ्रांस राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा समाप्ति पर प्रदान किए जाने वाली बक्कालॉरेत अर्हता के साथ तुलनीय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा जारी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या भारत गणराज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य माध्यमिक, इंटरमिडिएट या प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को मान्यता प्रदान करेगा।

(9) भारतीय पक्षकार, भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा के लिए फ्रांसीसी मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित फ्रांसीसी विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त लाईसेंस डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

(10) फ्रांसीसी पक्षकार, फ्रांस उच्चतर शिक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त लाइसेंस डिग्रियों की तुलना में भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

(11) भारतीय पक्षकार, भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर डिग्रियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा के लिए फ्रांसीसी मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित फ्रांसिसी विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

(12) फ्रांसीसी पक्षकार, फ्रांस उच्चतर शिक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त

स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्रियों की तुलना में भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

(13) भारतीय पक्षकार, भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा संबंधित विषय (विषयों) में प्रदत्त डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी (पीएच.डी) डिग्रियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा के लिए फ्रांसीसी मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित फ्रांसीसी विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी) स्तरीय डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

भारत गणतंत्र में सक्षम प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा प्रत्यायित।

(14) फ्रेंच पक्ष, फ्रेंच उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्रत्यायित विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही डॉक्टोरल डिग्री के समतुल्य भारत गणतंत्र में सक्षम प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं द्वारा विधिवत अनुमोदित, मान्यता प्राप्त और प्रत्यायित डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी (पीएचडी) डिग्री को मान्यता प्रदान करेगी।

अनुच्छेद 3

परामर्श

पक्ष, उनकी उच्चतर शिक्षा प्रणालियों के भीतर परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे को सूचित रखने के लिए आवधिक रूप से एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से विचार-विमर्श करेंगे।

अनुच्छेद 4

विवादों का निपटारा

इस करार की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा पार्टियों के मध्य विचार-विमर्श अथवा समझौते के द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 5

लागू एंट्री

प्रत्येक पार्टी इस अनुबंध के लागू होने जो विगत अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् दूसरे माह की प्रथम तारीख को होगा, के लिए अपेक्षित किसी भी आंतरिक प्रक्रिया विधियों के पूरा होने के बारे में दूसरी पार्टी को सूचित करेगी।

अनुच्छेद 6

वैधता और निरंतरता

यह करार लागू एंट्री होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। वैधता अवधि का स्वत: नवीकरण हो जाएगा।

अनुच्छेद 7

समाप्ति

कोई भी पक्ष समाप्ति की नियत तारीख से कम-से-कम बारह महीने पहले अन्य पार्टी को लिखित सूचना देने के द्‌वारा इस करार को समाप्त कर सकेगा।

नई दिल्ली में दिनांक 10 मार्च 2018 को फ्रेंच, अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित। सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।

भारत गणराज्य
की ओर से

फ्रेंच गणराज्य
की ओर से